न्यायालयः– सेशन न्यायाधीश, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी	–	तनवीर चौधरी आर.जे.एस. (डी.जे.केडर)
वि.फौ.प्र.सं.	–	459/2026
सी.आई.एस. नम्बर	–	497/2026
C.N.R. Number	–	RJHG010012832026

धनराज पुत्र श्री जगदीश उम्र 35 साल निवासी वार्ड नम्बर 9 चक 12 एस.टी.बी. पुलिस थाना पीलीबंगा।

–प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, हनुमानगढ़।

–अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना, पीलीबंगा की प्राथमिकी सं0 255/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 351(2), 118(2), 189(2) भारतीय न्याय संहिता

उपस्थितिः–
श्री अमित मदान, विद्वान अधिवक्ता– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
श्री मनोज कुमार शर्मा, विद्वान लोक अभियोजक– राज्य की ओर से।

–आदेश– **दिनांकः– 01.07.2026**

1. विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीलीबंगा द्वारा पुलिस थाना, पीलीबंगा की प्राथमिकी सं0 255/2026 में प्रार्थी/अभियुक्त धनराज की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दिनांक 29.06.2026 को खारिज किये जाने पर उसकी ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने पर नकल प्रार्थना पत्र विद्वान लोक अभियोजक को देकर अनुसंधान पत्रावली तलब कर उभय पक्ष की बहस जमानत आवेदन सुनी गई।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से हैं कि दिनांक 01.05.2026 को परिवादी आदेश सिंह ने पुलिस थाना पीलीबंगा में एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि प्रार्थी मसरुवाला का रहने वाला है। आज दिनांक 30.04.2026 शाम 06.03 बजे वह अपनी कार जीप कम्पास रजिस्ट्रेशन नं० UP16CA4000 में सवार होकर डबली गैस एजेंसी से मंडी पीलीबंगा आ रहा था। उसके साथ उसकी कार में सहीराम निवासी मसरुवाला भी था। रावतसर फाटक मंडी पीलीबंगा के पास एक मारुती आल्टो कार रजिस्ट्रेशन नं० RJ14WC7752 उसके पीछे से आई व उसकी कार के ठीक आगे अपनी आल्टो कार को लगाकर उसे रोक लिया व आल्टो कार में सवार विजय कुमार, नरेन्द्र, इन्द्राज, रामकुमार, धन्ना व एक अन्य अज्ञात कार से उतरे व उसकी कार के पास आकर उसकी कार पर मुक्के मारने लगे व उसे कार से बाहर बुलाने लगे व उसे गन्दी गन्दी गालियां देने लगे। उसे जान से मारने की धमकियां देने लगे। उसे खींचकर उसकी कार से नीचे उतार लिया। उक्त सभी ने नशे का सेवन किया हुआ था व सभी उसे थप्पड़–मुक्के से मारने–पीटने लगे व विजय कुमार के पास चाकू था, जिसने उस

पर चाकू से वार किया, तब उसने अपना बांयां हाथ आगे किया, तो बांयें हाथ की ऊँगली कट गई। बाकी सभी मिलकर उससे थप्पड़–मुक्कों व लातों से मारने–पीटने लगे। उक्त सभी ने उसकी पगड़ी उतारी व दाड़ी खींचकर कहा कि साले कूचे तेरे केश (जूड़ा) व दाड़ा आज उखाड़ेंगे। उन्होंने उसकी दाड़ी व केश खींच कर उसकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाई। उसके साथी सहीराम ने उसका बीच–बचाव किया, तो अप्रार्थीगण ने सहीराम को गालियां दी व जान से मारने की धमकियां देने लगे। तभी घटनास्थल पर रमनदीप सिंह आया। सहीराम व रमनदीप सिंह ने बीच बचाव कर उसे अप्रार्थीगण के चंगुल से छुड़वाया। शोर शराबा सुनकर यातायात पुलिस थाना पीलीबंगा में उक्त घटना की सूचना दी, तब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और उक्त अप्रार्थीगण को पुलिस थाना पीलीबंगा लेकर आये....आदि। उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना, पीलीबंगा में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 255/2026 दर्ज की जाकर अनुसंधान किया जा रहा है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त को हस्तगत प्रकरण में मिथ्या लिप्त किया है। प्रकरण में राजीनामा हो चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। पूर्व में सह–अभियुक्तगण की जमानत माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 29.06.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में समय लगने की संभावना है। पक्षकारान में हुए राजीनामा की प्रति पेश की जा रही है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत के प्रावधानों का लाभ प्रदान किया जाना चाहिए।

4. इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का दौराने बहस तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 115(2), 126(2), 351(2), 118(2), 189(2) भारतीय न्याय संहिता के गंभीर आरोप है। मजरूब के शार्प चोट कारित हुई है। परिवादी/मजरूब की पगड़ी उतारकर व दाड़ी खींचकर उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचायी गई है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अत्यन्त गंभीर प्रकृति का आरोप है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत के प्रावधानों का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए।

5. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया गया। तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के आपराधिक रिकॉर्ड संबंधी रिपोर्ट निम्न है :–

S.No	FIR No. & PS	Case No.	Under Section	Date of Institution	Status	Date of Arrest	Date of Release
	–	–	–	–	–	–	–

6. अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि प्रार्थी/अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 115(2), 126(2), 351(2), 118(2), 189(2) भारतीय न्याय संहिता का आरोप है। अनुसंधान पत्रावली के साथ संलग्न चोट प्रतिवेदन के अवलोकन से प्रकट होता है कि मजरूब के किसी मार्मिक अंग पर चोट कारित नहीं हुई है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्तगण दिनांक 29.06.2026 से अभिरक्षा में है। सह–अभियुक्तगण की जमानत पूर्व में इस

न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर बिना कोई टिप्पणी किए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत के प्रावधानों का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

7. अतः प्रार्थी/अभियुक्त धनराज की ओर से प्रस्तुत किया गया जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी उपस्थिति बाबत् पच्चीस हजार रूपये का स्वयं का मुचलका एवं इसी राशि की मौतबिर जमानत विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीलीबंगा के संतोषप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दी जाये तो प्रार्थी/अभियुक्त को इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

Sd/-

(तनवीर चौधरी)
सेशन न्यायाधीश, हनुमानगढ़

8. आदेश आज दिनांक 01.07.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Sd/-

(तनवीर चौधरी)
सेशन न्यायाधीश, हनुमानगढ़

Executive Assistant & Personal Assistant
Authenticated Document
MANOHAR LAL SHARMA
Digitally signed by MANOHAR LAL SHARMA
Date: 2026.07.08 10:54:08 +0530